No. 1/4(iii)/2025-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

Kartavya Bhavan 1, Kartavya Path,
New Delhi-110001
Dated the 06th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to the employees, who are continuing to draw their pay in the pay scale as per 5th Central Pay Commission

------

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/1(3)/2025-E.II(B) dated 2nd April, 2025 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale as per 5th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of **466% to 474%** of Basic Pay **w.e.f. 1st July, 2025.**

2. The provisions contained in paragraphs 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(13)/97-E.II(B) dated 3rd October, 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

www.govtstaff.com

सं. 1/4(iii)/2025-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य पथ

नई दिल्ली - 110001

दिनांक 06.10.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 02 अप्रैल, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(3)/2025-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर को दिनांक **01 जुलाई, 2025** से मूल वेतन के **466%** की मौजूदा दर से बढ़ाकर **474%** कर दिया जाएगा।

2. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 03 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान लागू हैं।

स. कु. दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

www.govtstaff.com